255

संख्या–3090/XVIII(II)/11–7(23)/2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त,
गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 19 दिसम्बर, 2011

विषय–प्रदेश में सीजनल संग्रह कार्मिकों को रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमितीकरण का लाभ दिए के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि सीजनल संग्रह कार्मिकों के पक्ष में राज्य गठन के पूर्व से ही मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में न केवल सीजनल संग्रह कार्मिक अनवरत कार्य कर रहे हैं बल्कि वह कई जिलों में समान कार्य समान वेतन के आधार पर लाभ भी प्राप्त कर रहे है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर इन कार्मिकों के विनियमितीकरण पर भी विचार किए जाने के आदेश पारित किए गए है। संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 में 50% पद सीधी भर्ती से 35% पद सीजनल संग्रह अमीनों से भर्ती द्वारा एवं 15% पद स्थायी संग्रह अनुसेवकों से नियुक्त किये जाने व्यवस्था हैं।

2. इस संबंध में मुख्य राजस्व आयुक्त/जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न जनपदों में सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत हैः–

क्रं0	जनपद का नाम	सृजित पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
		सं0 अमीन	सं0 अनुसेवक	स0 वा0 व0 न0	सं0 अमीन	सं0 अनुसेवक	स0वा0व0न0
1	हरिद्वार	56	56	0	23	15	–
2	देहरादून	60	60	6	8	4	–
3	टिहरी	31	31	5	–	–	–
4	चमोली	11	11	2	–	–	–
5	उत्तरकाशी	26	26	4	–	–	–
6	रूद्रप्रयाग	7	7	1	–	–	–
7	पौड़ी	52	52	7	–	–	–
8	बागेश्वर	8	8	1	–	–	–
9	उधमसिंहनगर	44	44	0	14	15	–
10	चम्पावत	7	7	1	–	–	–
11	पिथौरागढ़	11	11	4	–	–	–
12	नैनीताल	30	30	3	3	10	–
13	अल्मोड़ा	20	20	3	–	–	–
कुल योग		363	363	37	48	44	–

.....2

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संवर्ग के विनियमितीकरण में हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत दीर्घ अवधि से सीजनल रूप में कार्य कर रहे कार्मिकों को नियमित किए जाने के लिए उपरोक्त तालिका में इंगित समस्त रिक्त पदों को सीजनल कार्मिकों के विनियमितीकरण के लिए एक बार के लिए उपलब्ध कराए जाने हेतु श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4 इस संबंध में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विनियमितीकरण नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अनुरूप वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों पर सीजनल कार्मिकों को विनियमित करने की सक्षम स्तर पर समयबद्ध कार्यवाही की जाएगी। रिक्त पदों के विवरण, आरक्षण एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में यथाआवश्यक शासन का मार्गदर्शन/आदेश भी अनिवार्यतः प्राप्त कर लिया जाएगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–3090/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।